न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियॉ,आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 69/प्रा0पत्र/13 — तारीख दायरा 23.07.13

राजस्थान सरकार

——————प्रार्थी

बनाम

1. मदनगोपाल आ0 भंवरलाल जाट निवासी पिपल्दा तहसील खानपुर
2. गोविन्दलाल, हीरालाल, उदालाल, परमानन्द पिसरान मोतीलाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा तहसील खानपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र अन्तर्गत 86 एल0आर0ए0 एवं 148 सीपीसी के अन्तर्गत

उपस्थितः— 1. श्री गजोत्तम राज जैन वकील प्रार्थी नं0 1
2. श्री इकबाल अहमद वकील प्रार्थीगण नं0 2

—: निर्णयः— दिनांकः— 31.07.2019

पत्रावली बाद निर्णय माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त हुई—जिसमें निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 28.05.02 निरस्त कर इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि वह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्दर मियाद मानते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें—प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी नं0 1 की ओर से वकील श्री गजोत्तम राज जेन एवं अप्रार्थी नं0 2 की ओर से वकील श्री इकबाल अहमद द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक प्रा0पत्र मदनगोपाल आ0 भंवरलाल जाट निवासी पीपल्दा द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मु0नं0 149/85 सीलिंग/खानपुर/ का निर्णय दिनांक 19.06.91 व 04.02.97 को हो चुका है ओर उक्त आदेशानुसार प्रार्थी की खरीदशुद्वा आराजी ग्राम चांदपुरा चपलाड़ा तहसील खानपुर के ख0न0 516 की 33 बीघा 18 बिस्वा जो पूर्व में हीरालाल द्वारा आपशन में दी गई थी को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया है ओर हीरालाल के खाते की अन्य भूमि अधिग्रहण कर ली गई है, अतः पूर्व आदेशों के अन्तर्गत नामान्तकरण सं0 191 दिनांक 11.06.93 द्वारा ख0न0 516 की 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो सिवायचक में दर्ज की गई थी, वह अब भी सिवायचक ही है, जबकि इसके स्थान पर अन्य भूमि अधिग्रहण कर खाता सरकार दर्ज की जा चुकी है, अतः नामान्तकरण नं0 191 में वर्णित ख0न0 516 की 33 बीघा 18 बिस्वा भूमि को पुनः प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

अप्रार्थीगण नं0 2 गोविन्दलाल, हीरालाल, परमानन्द, उदालाल पिसरान मोतीलाल ने इसी प्रकरण में एक आवेदन किया कि सीलिंग प्रकरण 262/78 सरकार बनाम हजारीलाल वगैरह दिनांक 25.04.79 को इस न्यायालय द्वारा हजारीलाल महाजन की भूमि सीलिंग में अवाप्त की थी, जिसके विरूद्व अप्रार्थीगण ने राजस्व मण्डल में निगरानी नं0 148/85 पेश की जिसका निर्णय दिनांक 08.02.94 को राजस्व मण्डल द्वारा किया जा चुका है, जिसमें हजारीलाल महाजन वगैरह के खाते की आराजी में से भूमि अधिग्रहण करने एवं यदि उसमे भूमि कम पडे तो प्रार्थीगणों की भूमि जो हजारी लाल से खरीदी गई है, को अवाप्त की जानी चाहिए किन्तु असेसी द्वारा ख0न0 381 की 11 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 382 की 3 बीघा 9 बिस्वा, व 383 की 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि का आप्शन दे दिया गया, जबकि यह भूमि प्रार्थीगण की खरीदशुद्वा भूमि थी।

वकील अप्रार्थीगण उपस्थित हुए बहस सुनी गई विद्वान अभिभाषकगण द्वारा दोराने बहस अनुरोध किया गया कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्णय दिनांक 04.02.97 से ग्राम चांदपुरा चपलाड़ा तहसील खानपुर के निम्न खसरा नम्बरान की आराजी सीलिंग में अधिग्रहण की जाकर–

क0स0	नाम ग्राम	ख0न0	रकबा (बीघा में)
1	चांदपुरा चपलाड़ा	484	4.10
2		506	11.09
3		507	23.09
4		513	11.03
5		514	10.03
6		520	10.02
7		188	3.18
8		338	2.10
9		486	15.05
10		500	1.05
11		502	12.09
12		503	17.15
13		504	10.08
14		337	17.11
15		193	0.07
	योग		152 बीघा 4 बिस्वा

नामान्तकरण संख्या 216 दिनांक 14.03.97 एवं नामा0 संख्या 721 दिनांक 17.09.18 से सिवाय चक दर्ज की गई परन्तु नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 11.06.93 से अप्रार्थीगण की ख0न0 516 की 33.18 बीघा व 519 की 25.04 बीघा भूमि सिवाय चक दर्ज की गई थी जिसे पुनः खातेदारी में दर्ज करने के आदेश नही दिये गये–जबकि राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 21.08.95 को पारित निर्णय में यह आदेश दिये गये कि

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

भूमिधारकों से पहले भारमुक्त भूमि अधिग्रहित की जावे ओर कम पड़ने पर प्रार्थीगण द्वारा खरीदी गई भूमि में से अधिग्रहित की जावे परन्तु नामान्तकरण सं0 क्रमश 191, 216, एवं संशोधित नामा0 सं0 721 से दो–दो बार भूमि सीलिंग में अधिग्रहण की जाकर सिवायचक दर्ज कर ली गई जबकि 54.89 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही अधिग्रहण की जानी थी। अतः अप्रार्थीगण की ग्राम चांदपुरा चपलाड़ा के ख0न0 516 व 519 की भूमि को पुनःखातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे। वकील प्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र की प्रति एवं आर0आर0डी0 2009 के पेज 773 लगायत 776 प्रस्तुत की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस विद्वान अभिभाषकगण पर मन्न किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण सं0 191 दिनांक 11.06.93 से 184 बीघा 05 बिस्वा भूमि सीलिंग में अधिग्रहण कर सिवायक चक दर्ज की गई थी जिसमें अप्रार्थीगण के ख0न0 519 व 516 की खरीदशुद्वा भूमि भी सम्मिलित है–जो जरिर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.05.63 से खरीदने के उपरान्त नामा0 स0 580 से मदनगोपाल आर भंवरलाल जाट एवं ख0न0 519 की रजि0 विक्रय पत्र 17.06.64 से खरीदने के बाद से ही गोविन्दलाल, हीरालाल, उदालाल, परमानन्द पिसरान मोतीलाल जाति मीणा की खातेदारी में चली आ रही है, जबकि असेसी के भूमि अधिग्रहण का आदेश दिनांक 25.04.79 को हुआ था उस समय उक्त दोनो खसरा नम्बरान की भूमि भारमुक्त नही थी। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशों की पालना में पारित निर्णय दिनांक 04.02.97 पारित किया गया जिसकी पालना में नामा सं0 216 व 721 से निम्न खसरा नम्बरान की–

1	चांदपुरा चपलाड़ा	484	4.10
2		506	11.09
3		507	23.09
4		513	11.03
5		514	10.03
6		520	10.02
7		188	3.18
8		338	2.10
9		486	15.05
10		500	1.05
11		502	12.09
12		503	17.15
13		504	10.08
14		337	17.11
15		193	0.07
		योग	152 बीघा 4 बिस्वा

अति० कलक्टर एवम
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

152 बीघा 4 बिस्वा भूमि का सीलिंग में अधिग्रहण कर सिवाय चक दर्ज कर दी गई, परन्तु प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 519 व 516 को पुनः खातेदारी में दर्ज नही किया गया। इस प्रकार ख0न0 519 की 25.04 बीघा एवं ख0न0 516 की 33.18 बीघा अधिग्रहित भूमि का प्रत्यास्थापन किया जाना उचित प्रतीत होता है, क्यों कि जिस समय भूमि का अधिग्रहण हुआ था उस समय ख0न0 519 व 516 की कय शुद्वा आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज थी न कि असेसी की–अतः परिणाम स्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्दर मियाद स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार सारोलां कंला को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण मदनगोपाल आ0 भंवरलाल जाट निवासी पिपल्दा तहसील खानपुर की आराजी ख0न0 516 की 33 बीघा 18 बिस्वा एवं अप्रार्थीगण गोविन्दलाल, हीरालाल, उदालाल, परमानन्द पिसरान मोतीलाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा तहसील खानपुर की आराजी ख0न0 519 की 25.04 बीघा भूमि को नामा0 सं0 191 में से कम करते हुवे अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे। निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार सारोलाकंला को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय लिखा जाकर सुनाया गया।

31.7.19

(करतार सिंह पूनियॉ)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़